

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी कासगंज

पत्रांक C-1101 / जि0का0अ0 / स्था0-4-चयन / 2025-26 दिनांक: 24 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या- 1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक-17 सितम्बर 2025, में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद कासगंज के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में पूर्व चयन से आच्छादित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मानदेय आधारित संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	विकास खण्ड/बाल विकास परियोजना का नाम	पूर्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति प्रक्रिया के उपरान्त अवशेष रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1	अंमापुर	04
2	गंजडुण्डवारा	18
3	कासगंज	11
4	पटियाली	09
5	सहावर	01
6	सिद्धपुरा	09
7	सोरोँ	08
	कुल योग	60

नोट-उपरोक्त तालिका में वर्णित रिक्त पदों की संख्या विभागीय पोर्टल की स्थिति के आधार पर घट बढ़ सकती है।)

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा की गई है, विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञप्ति की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष, अधिकतम परास्नातक होगी। अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी।
4. चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला को वरीयता प्रदान की जायेगी।
5. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।

24/11/25

6. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
7. गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।
8. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
9. निवास एवं जाति के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
10. विज्ञप्ति प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थियों में घट-वढ सकती है। उपरोक्त विज्ञप्ति पदों के अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय बेबसईट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
11. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनसादेश 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक-30.09.2011, के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

- आवेदन पत्र विभागीय बेबसईट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है, या कोई गलत या कूटरचित पाये जायेगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगी। त्रुटि सुधार हेतु ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, अतः अभ्यर्थी के संलग्न किये गये अभिलेख स्पष्ट पठनीय होने चाहिये। आवेदन करने से पूर्व शासनादेश दिनांक 17.09.2025 का अध्ययन भलीभांति कर लें। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर मूल अभिलेखों से मिलान कर ले। त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। केन्द्र का नाम एवं केन्द्र कोड भरना अनिवार्य है।
12. ऑनलाइन आवेदन दिनांक- 25.11.2025 से 15.12.2025 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक स्वीकार किये जायेगें।

नोट:-आवेदन चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया शासनादेश 1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक-17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार के विचलन पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थिनी का होगा।

sol

जिला कार्यक्रम अधिकारी
कासगंज

पृष्ठांकन - / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ०प्र० लखनऊ।

2. जिलाधिकारी महोदय, कासगंज।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कासगंज।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कासगंज।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद-कासगंज को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद कासगंज को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि जनपद कासगंज के उपरोक्त उल्लिखित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की विज्ञप्ति न्यूनतम दर पर किसी स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के साथ भुगतान हेतु बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नगर पंचायत कासगंज, पटियाली, बिलराम, सोरों, सहावर, सिढपुरा, गंजडुण्डवारा व अमोंपुर को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद कासगंज को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें, एवं प्रचार-प्रसार भी करायें।
10. कार्यालय प्रति।

2ad


जिला कार्यक्रम अधिकारी
कासगंज।
Ore